न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी– श्री शंकरलाल सालवी ,आर.ए.एस.

———

प्रकरण संख्या 133/2019 वाद निर्णय दिनांक 23.10.2019

अनवान

राधेश्याम पिता मथुरालाल ब्राहमण वयस्क निवासी रेवलियाकलां तहसील भदेसर

.....वादीगण

।। बनाम ।।

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार भदेसर-जिला चित्तौडगढ़
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय चित्तौडगढ (राज0)

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 रा0 का0 अधि0 1955
बाबत कृषि आराजीयात की घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थित– श्री प्रवीण जोशी वकील वादी

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,188 की धारा के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया –

1. यह कि वादी के खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम रेवलियाकलां पटवार हल्का रेवलिया खुर्द तहसील भदेसर की साबिक खाता संख्या 167 पर दर्ज आराजी नम्बर 2162/5 रकबा 7 बीघा लगानी 5.25 रूप्ये दर्ज थी जिसके बाद सेटलमेन्ट मे नवीन खाता संख्या 149 पर दर्ज आराजी नम्बर 344 रकबा 0.84 हैक्टैयर लगानी 17.64 रूप्ये दर्ज किये गये । साक्ष्य में नकल जमाबन्दी संवत् 2071–2074 , नक्शा ट्रेस नकल जमाबन्दी साबिक 2066 से 2069 व मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध विभाग का संलग्न वाद पत्र है।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner

2. यह कि तहसील भदेसर का वर्ष 2010–2011 में भू प्रबंध अधिकारीयों द्वारा भू प्रबंध किया गया। भू प्रबंध के दरम्यिान वादी की खातेदारी में दर्ज उक्त आराजी नम्बर 216/5 रकबा 7 बीघा के नवीन आराजी नम्बर 344 रकबा 0.84 हैक्टैयर दर्ज कर दिया गया तथा शेष रकबे को बिलानाम सरकार दर्ज कर दी गई है जबकि वादी साबिक रकबे अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहें है जिससे वादीगण की ओर से यह वादपत्र घोषणात्मक डिक्री हेतु पेश है ।

3. यह कि वादी के विवादित आराजीयात सेटलमेन्ट से पूर्व वादीगण के खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी और वादीगण आज भी आराजीयात पर काबिज होकर काश्त कर रहें है लेकिन भू प्रबन्ध अधिकारीयों की लापरवाही से उक्त खातेदारी आराजीयात को राजकीय भूमि दर्ज कर दी है इसलिए उक्त आराजीयात को पुनः वादीगण की खातेदारी में दर्ज की जाकर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कराने हेतु वाद पत्र पेश है ।

4. यह कि उक्त वादीगण की आराजीयात को सेटलमेन्ट के दौरान विवादित आराजीयात वादीगण के खाते में दर्ज रेकार्ड थी एवं उसी अनुसार वादीगण मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहें फिर भी भू प्रबन्ध अधिकारीयों ने वादीगण की आवंटन शुदा खातेदारी की आराजीयात को राजकीय बिलसानाम भूमि दर्ज कर दी है इसकी आड में प्रतिवादीगण वादीगण को विवादित आराजीयात से बेदखल करना चाहते है व विवादित आराजीयात को अन्य को आवंटन करने पर आमादा है ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाने हेतु यह वाद पत्र पेश किया है ।

5. यह कि प्रतिवादीगण राज्य सरकार के प्रतिनिधिगण है जिनके विरूद्ध वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने पुर्व धारा 80 जा.दी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु प्रतिवादीगण ने वादी के खातेदारी की आराजीयात को बिलानाम कर बेदखल करने पर आमादा हो रहे हे एवं किसी को आंटित नहीं कर दे ऐसी स्थिति में वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र आवश्यक प्रकृति का हो जाने से वाद पत्र बिना नोटिस सर्व किये ही पेश किया जा रहा है जिसके लिये धारा 80(2) जा.दी. का आवेदन मय शपथ पत्र के पैश है।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ

Scanned by CamScanner

6. यह कि बिनाय मुखास्मात वाद कारण दिनांक 18.07.2019 को प्रतिवादीगण के मातहत कर्मचारियों ने मौके पर आकर वादीगण को विवादित आराजीयात का कब्जा छोडने व कब्जा नहीं छोडने पर कार्यवाही की धमकी देने से पैदा होकर निरन्तर जारी है जिससे वाद पत्र वादी अन्दर मियाद पेश किया है जो स्वीकार फरमाया जावे ।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया ।

विपक्षीगण की ओर पैरोक्कार सरकार तहसीलदार भदेसर द्वारा द्वारा मौका एवं साबिक व वर्तमान राजस्व रेकार्ड के आधार पर जवाब प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि – मौजा रेवलियाकलां की 366 रकबा 0.55 हैक्टैयर , आराजी नम्बर 347 रकबा 0.04 हैक्टैयर भूमि वर्तमान में बिलानाम सरकार है जिस पर वादी राधेश्याम पिता मथुरालाल ब्राहम्ण निवासी रेवलियाकलां का कब्जा होकर उनके द्वारा काश्त की जा रही है ।

लायक अधिवक्ता वादीगण की वहस सुनी गई । पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया । मौजा रेवलियाकलां की साबिक जमाबन्दी संवत् 2055 से 2059 की खाता संख्या 167 की आराजी नम्बर 216/5 रकबा 07 बीघा भूमि वादी के खातेदारी में दर्ज थी । भू प्रबन्ध से वादी की उक्त आराजीयात के नवीन आराजी नम्बर 344 रकबा 0.84 हैक्टैयर कायम किये है जो मिलान क्षेत्रफल व जमाबन्दी संवत् संवत् 2071–2074 से स्पष्ट है । उक्त प्रकार से वादी के खातेदारी में दर्ज साबिक रकबे 07 बीघा का दशमलव प्रणाली से कुल रकबा 1.51 हैक्टैयर दर्ज होना चाहिए था जिसके मुकाबले 0.84 हैक्टैयर ही दर्ज हुई है शेष रकबा बिलानाम दर्ज करने की त्रृटि कर अकारण ही वादी की खातेदारी में दर्ज भूमि के मुकाबले 0.67 हैक्टैयर भूमि का विलोपन हो चुका है जिसे वादी पुनः अपनी खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी है ।

तहसीलदार भदेसर की रिपोर्ट से भी स्पष्ट होता है कि वादी की खातेदारी में दर्ज साबिक आराजी नम्बर 216/5 रकबा 7 बीघा दर्ज थी जिसके कुछ भाग को बिलानाम भूमि में विलय कर नवीन नम्बर कायम किये गये है मौके पर पर आलौच्य बिलानाम आराजी नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner

366 रकबा 0.55 हैक्टैयर एवं आराजी नम्बर 347 रकबा 0.04 हैक्टेयर साबिक नक्शा एवं नवीन नक्शा अनुसार काबिज है । जिसका अनुतोष वादी को प्रदान किया जाकर वादी के खातेदारी में हुए कमी रकबे का समायोजन किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है । अतः वाद स्वीकार किया जाना उचित मानते है ।

उपरोक्त विवेचन एवं हस्ब रिपोर्ट तहसीलदार भदेसर के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है कि वादी के खातेदारी में दर्ज मौजा रेवलियाकलां की साबिक आराजी नम्बर 216/5 रकबा 07 बीघा (1.51 हैक्टैयर) का भू प्रबन्ध से कायम नवीन आराजी नम्बर 344 रकबा 0.84 हैक्टैयर के मुकाबले अतिरिक्त कमी रकबे की क्षतिपूर्ति का समायोजन मौके पर उपलब्ध रकबे व वादी के कब्जे काश्त की बिलानाम आराजी नम्बर 366 रकबा 0.55 हैक्टैयर एवं आराजी नम्बर 347 रकबा 0.04 हैक्टैयर कुल रकबा 0.59 हैक्टैयर भूमि वादी के खातेदारी हक से पुनः राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है । इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जावे । धारा 188 की दाद साबित नहीं होने से खारीज की जाती है । इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से तैयार किया जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(शंकरलाल सालवी)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(व्य0प्र0सं0 के आदेश 20 के नियम 6 व 7)
न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, मुकाम–भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज0)

बईजलास– श्री शंकरलाल सालवी, आर0ए0एस0,

उनवान

राधेश्याम पिता मथुरालाल ब्राहमण वयस्क निवासी रेवलियाकलां तहसील भदेसर

................वादी

।। बनाम ।।

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ़
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय चित्तौडगढ (राज0)

..............प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 रा0 का0 अधि0 1955
बाबत कृषि आराजीयात की घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती
प्रकरण संख्या 133/2019

वादीगण की ओर से वकील श्री प्रवीण जोशी एवं प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद को आज दिनांक 23–10–2019 को न्यायालय के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर हस्ब रिपोर्ट तहसीलदार भदेसर के आधार पर वाद वादी डिकी किया जाता है कि वादी के खातेदारी में दर्ज मौजा रेवलियाकलां की साबिक आराजी नम्बर 216/5 रकबा 07 बीघा (1.51 हैक्टैयर) का भू प्रबन्ध से कायम नवीन आराजी नम्बर 344 रकबा 0.14 हैक्टैयर के मुकाबले अतिरिक्त कमी रकबे की क्षतिपूर्ति का समायोजन मौके पर उपलब्ध रकबे व वादी के कब्जे काश्त की बिलानाम आराजी नम्बर 366 रकबा 0.55 हैक्टैयर एवं आराजी नम्बर 347 रकबा 0.04 हैक्टैयर कुल रकबा 0.59 हैक्टैयर भूमि वादी के खातेदारी हक से पुनः राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है । इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जावे । धारा 188 की दाद साबित नहीं होने से खारीज की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

यह आज दिनांक 23.10.2019 को डिग्री पर्चा मुर्तिब किया गया ।

(शंकरलाल सालवी)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर चित्तौडगढ

Scanned by CamScanner